


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रकीर्ण आदेश संख्या- 138/ 2020

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक-1091 दिनांकित 05.05.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुपालन में लाकडाउन अवधि एवं उसके पश्चात जनपद न्यायालय सुलतानपुर में दिनांक 08.05.2020 से सीमित न्यायिक कार्य हेतु निम्नलिखित न्यायालय ही कार्य करेंगे। इस दौरान निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा स्तम्भ संख्या-3 में अंकित समयानुसार पूर्व में लम्बित तथा नये जमानत प्रार्थना पत्रों की तथा पूर्व में लम्बित तथा नये अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई ई-वर्चुवल कोर्ट द्वारा की जायेगी और अधिवक्ताओं को सम्बन्धित न्यायालय में जाने की आवश्यकता व अनुमति नहीं होगी। ई-वर्चुवल कोर्ट की व्यवस्था एफ0टी0सी0 बिल्डिंग के कक्ष संख्या-1 में की गई है।


क्रम सं०	न्यायालय का नाम	सुनवाई का समय
1	2	3
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर।	11.30 बजे से 12.30 बजे तक
2	अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर।	12.30 बजे से 1.00 बजे तक
3	विशेष सत्र न्यायाधीश,(एस0सी/एस0टी0) पी0 ए0 ऐक्ट कक्ष संख्या-02, सुलतानपुर।	1.00 बजे से 1.30 बजे तक
4	अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 ऐक्ट) कक्ष संख्या-04, सुलतानपुर।	2.00 बजे से 2.30 बजे तक
5	अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) कक्ष संख्या-12, सुलतानपुर।	2.30 बजे से 3.00 बजे तक
6	अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/पाक्सो ऐक्ट कक्ष संख्या-13, सुलतानपुर।	3.00 बजे से 3.30 बजे तक
7	अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0- प्रथम, सुलतानपुर।	3.30 बजे से 4.00 बजे तक
8	अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/पाक्सो ऐक्ट कक्ष संख्या-14, सुलतानपुर।	4.00 बजे से 4.30 बजे तक
9	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-16, सुलतानपुर।	10.30 बजे से 11.00 बजे तक
10	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-17, सुलतानपुर।	11.00 बजे से 11.30 बजे तक

सभी सम्बन्धित सूचित हों।


प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
07.05.2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, सुलतानपुर।
- 2- वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, सुलतानपुर।
- 3- बार एसोसिएशन सुलतानपुर, सुलतानपुर।
- 4- सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर सेन्टर, सुलतानपुर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।


9/c जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
07.05.2020